

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 548 / 14

संस्थापन दिनांक:-27 / 08 / 14

फाईलिंग नं. 233504002992014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

मिथुन उर्फ महेंद्र पिता ओमप्रकाश सुरे  
उम्र 24 वर्ष, निवासी सोमवारी चौक आमला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 23.07.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 13.08.2014 को 14:00 बजे या उसके लगभग शासकीय अस्पताल के सामने सब्जी मार्केट आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 16 इंच, चौड़ाई 4 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 13.08.2014 को सहायक उप निरीक्षक जी.पी. रम्भारिया को अपराध विवेचना व आमला साप्ताहिक बाजार भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि साप्ताहिक बाजार के दिन आमला अस्पताल के सामने शास्त्री मार्केट में अपने हाथ में एक लोहे का धारदार छुरा लेकर घूमकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त उसे हाथ में एक लोहे का धारदार छुरा लिये मिला जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा एवं उसके कब्जे से छुरा लेकर उससे छुरा रखने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताने पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त से छुरा जप्त किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 635/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.08.2014 को 14:00 बजे या उसके लगभग शासकीय अस्पताल के सामने सब्जी मार्केट आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 16 इंच, चौड़ाई 4 इंच को आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 13.08.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उसने हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार छुरा जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 635/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी।

6 यादोराव (अ.सा.-1) एवं संजू (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साथ ही साक्षियों ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) एवं संजू (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 विवेचक जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-2) ने मुखबिर से सूचना प्राप्त

होने पर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष धारदार छुरा जप्त करना एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया जाना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव पर यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जप्तशुदा आयुध की लंबाई चौड़ाई उसने किस आधार पर लिखी थी। उक्त साक्षी ने स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) को पहचानना व्यक्त किया है और यह भी बताया है कि वह थाने में ही कार्य करता है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से दर्शित है कि उसमें अभियुक्त से रहागीर साक्षी के समक्ष छुरा जप्त किया जाना लेख है परंतु रहागीर साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) एवं संजू (अ.सा.-3) के द्वारा उनके समक्ष जप्ती किये जाने का समर्थन नहीं किया गया है। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह भी प्रकट नहीं होता है कि जप्त जप्तशुदा आयुध को जप्त किये जाने के उपरांत उसे गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया हो। साथ ही विवेचक साक्षी ने इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि जप्तशुदा आयुध की नाप किस आधार पर और किससे नाप करके लिखी गयी थी।

9 घटना स्थल आमला अस्पताल के सामने का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि घटना दिनांक को साप्ताहिक बाजार था तब ऐसी स्थिति में मौके पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाये जाने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं होता है। साथ ही प्रकरण में हमराह स्टाफ अशोक को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। जप्ती पत्रक में जप्तशुदा आयुध को सीलबंद किये जाने का उल्लेख न होने से यह निश्चायक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था। साथ ही जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी यह भी विवेचक साक्षी जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-2) के कथनों से स्पष्ट नहीं होता है तब निश्चायक रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध अधिसूचना में वर्णित आकार प्रकार का है अथवा नहीं। तब ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 13.08.2015 को 14:00 बजे या उसके लगभग शासकीय अस्पताल के सामने सब्जी मार्केट आमला, थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे का धारदार छुरा प्रतिबंधित आकार का बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त मिथुन उर्फ महेंद्र को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का धारदार छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)